



राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की वैधानिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट जारी की

Posted On: 17 AUG 2020 2:50PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएफआईएन) की लेखा परीक्षा गुणवत्ता समीक्षा रिपोर्ट (एक्यूआरआर) की वैधानिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है। इस कार्य के लिए बीएसआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी (बीएसआर) वैधानिक लेखा परीक्षक थे।

एक्यूआरआर को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 (2) (बी) और एनएफआरए नियमावली, 2018 के अनुपालन में आयोजित की गई जिसके लिए एनएफआरए, लेखा मानकों और लेखा परीक्षा मानकों के साथ अनुपालन की निगरानी और उसे लागू करना आवश्यक है।

एनएफआरए ने इस एक्यूआरआर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि एक आईएफआईएन के वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में बीएसआर की नियुक्ति गैर-कानूनी और शून्य थी। बीएसआर द्वारा लेखा परीक्षका के मानकों की जरूरतों के अनुपालन में विफलता बहुत महत्वपूर्ण है। बीएसआर के पास लेखा परीक्षा जारी करने का ऐसा पर्याप्त औचित्य नहीं था कि लेखा परीक्षा एसएस के अनुसार आयोजित की गई थी। प्रमुख परिमाण और मौलिक महत्व के भौतिक मिथ्या कथन के साथ अनुपालन विफलता और प्रबंधन द्वारा संबंधित पूर्वधारणा, शासन के साथ आवश्यक संचार की पूर्ण अनुपस्थिति, गैर-प्रासंगिक कारकों आदि के आधार पर भौतिकता राशियों का निर्धारण आदि पाए गए हैं। इसके अलावा, एनएफआरए ने यह भी पाया कि बीएसआर द्वारा प्रयुक्त आईटी प्रक्रियाओं/मंच में भी खामियां हैं जो प्रणालीगत और संरचनात्मक स्वरूप की हैं।

एनएफआरए अलग से इस बात की जांच करेगा कि क्या इस एक्यूआरआर के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 (4) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है। एक्यूआरआर <https://nfra.gov.in/> पर उपलब्ध है।

एमजी/एम/आईपीएस/वीके

(Release ID: 1646480) Visitor Counter : 143

Read this release in: Telugu , English , Urdu , Punjabi , Tamil

